

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक फरवरी, 2015

पत्र संख्या-1/एल01-1021/1999 गृ0आ0 /श्री प्रवीण वशिष्ठ, भा0पु0से0 (1991), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0 202, दिनांक 13.01.2015 द्वारा दिनांक 10.01.2015 से 22.02.2015 तक कुल 44 (चौवालीस) दिनों की स्वीकृत उपार्जित अवकाश को संशोधित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक दिनांक 17.01.2015 से 22.02.2015 तक कुल 37 (सैंतीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री वशिष्ठ के अवकाश अवधि में श्री एस0एम0 वकील अहमद, पुलिस अधीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त उक्त पद के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-1021/1999 गृ0आ0 /पटना, दिनांक फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-1021/1999 गृ0आ0 /पटना, दिनांक फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-1021/1999 गृ0आ0 1004 /पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री प्रवीण वशिष्ठ, भा0पु0से0 (1991), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना/ श्री एस0एम0 वकील अहमद, पुलिस अधीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।